संख्या-12/2021/288 /12-5-2021-सा-1/2019

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनॉक 01 मार्च, 2021

विषयः **<u>विरासत अभियान के आधार पर पी0एम0 किसान योजना में कार्यवाही के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-1/2021/133/12-5-2021-सा0-01/2019, दिनांकः 14 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निर्देश दिये गये थे कि राजस्व विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे वरासत अभियान को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ा जाना है। यह निर्देश दिये गये थे कि वरासत अभियान में जिन मृतक कृषकों के वरासत दर्ज हुए हैं, अगर वह पी0एम0 किसान के लाभार्थी रहे हैं तो उनकी किस्त को रोका जाना है और उनके वारिसों को ओपेन सोर्स के माध्यम से नये लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करना है। पंजीकरण के पश्चात योजना के दिशा निर्देश के अनुसार अभिलेख प्राप्त करते हुए व पात्रता का सत्यापन करते हुए उनके प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेना है।

अतः यह अपेक्षा है कि दर्ज वरासत का विवरण (नाम, पिता का नाम, ग्राम, तहसील, मोबाइल नम्बर) कृषि विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका सत्यापन 31.03.2021 से पूर्व हो। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर राजस्व कर्मी को भी लगाया जा सकता है। सत्यापन कर मृतक कृषकों के अगली किस्त का भुगतान रोक डाटाबेस में सुधार किया जाएगा। कार्यवाही इसलिए भी 31 मार्च, 2021 से पूर्व आवश्यक है, जिससे अप्रैल 2021 में नई किस्त तत्समय मृतक कृषकों को किस्त न जाने पाए तथा पात्र वारिसों को शीघ्र लाभ मिलने आरम्भ हो जाये।

तत्क्रम में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और संलग्न प्रारूप पर आख्या निदेशक कृषि को प्रस्तुत करते हुए इसकी नियमित समीक्षा की जाये।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 288(1)/12-5-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः कृषि निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश 12/2021/288(2) /12-5-2021-सा-1/2019, दिनांक 01 मार्च, 2021 का संलग्नक:

क्र0सं0	जनपद का नाम	28.02.2021 तक वरासत अभियान में दर्ज वरासत की संख्या	कालम-2 में से कर्मचारियों द्वारा किये गये सत्यापन की संख्या	उक्त सत्यापन में ऐसे कृषकों की संख्या जो पी0एम0 किसान की लाभार्थी थे	ऐसे मृतक लाभार्थियों की संख्या जिनको डाटाबेस में स्टॉप पेमेण्ट की कार्यवाही की गयी है।
1	2	3	4	5	6

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।